न्यायालय सिविल जज सी0डि0, उन्नाव

खफीफा वाद सं0 02/2018

सी0एन0आर0 नं0– UPUNO50003442018

देवी प्रसाद...........बनाम...............जहूर अहमद

दिनांक–04.01.2020

पत्रावली पेश हुई। उभपक्ष उपस्थित आये।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना–पत्र 11ग के निस्तारण पर बल दिया गया है।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 11ग

वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र 11ग प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में प्रतिवादी जहूर अहमद का देहान्त दिनांक 22.12.2018 को हो गया है। जिसकी जानकारी दुकान पर बैठने वाल उसके पुत्र मुमताज अहमद द्वारा दी गयी है। इसलिए मृतक प्रतिवादी जहूर अहमद की कायम मुकामी कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना की गयी है कि न्यायहित में मृतक किरायेदार जहूर अहमद के स्थान पर उनके पुत्र मुमताज अहमद को कायम मुकाम बनाये व तदनुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी जहूर अहमद का देहान्त दिनांक 22.12.2018 को हो गया था। मृतक के वारिस मुमताज अहमद को बतौर वारिस प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। वाद की कार्यवाही को अग्रसारित किये जाने के लिए न्यायहित में मृतक के वारिस को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 11ग स्वीकार किया जाता है। संशोधन 07 दिवस में किया जाए। बाद संशोधन पत्रावली दिनांक 14.02.2020 को वास्ते निस्तारण पेश हो।

सिविल जज (सी0डि0),

उन्नाव।

आई0डि0 नं0– UP 1620